डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उन0 किरनदेई बनाम हरचंदी वगै0

दावा बाबत् 188 रा0का0 अधिनियम

कदमा नंबर 196/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी
नजानिब मुददइ व .... गिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है
कि

अतः आदेश है कि वादिनी के विवादित आराजी खसरा नंबर 815 वाके ग्राम नाम तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 816 की आड़ में वादिनी को उसके खातेदारी काश्तकारी के खसरा नंबर 815 में कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें और न हीं वादिनी के खसरा नंबरान में मदाखलत मजाहमत करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग ------- बावत ----------- खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक —————— की अदा करें ।

दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23/06/25 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत— 23/6/25

सहायक कलक्टर

मुददई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवांहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इंजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			.... मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. किरनदेई पत्नी रामभरोसीलाल जाति जाटव निवासी नाम तहसील न
भरतपुर।

बनाम

1. हरचंदी पुत्र भौंदू जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भर
2. भगवान सिंह पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदब
भरतपुर।
3. शिवसिंह पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई
भरतपुर।
4. रामपती पत्नी भगवानसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई
भरतपुर।
5. फूल पत्नी शिवसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई
भरतपुर।
6. विनीत पुत्र शिवसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जि
भरतपुर।
7. अमित पुत्र शिवसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जि
भरतपुर।

प्रतिवादीगण

23/6/25
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:09:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 196/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/366
किस्म दावा 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.06.2025

1. किरनदेई पत्नी रामभरोसीलाल जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर। वादी

बनाम

1. हरंचदी पुत्र भौंदू जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. भगवान सिंह पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. शिवसिंह पुत्र हरचंदी जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. रामपती पत्नी भगवानसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. फूल पत्नी शिवसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. विनीत पुत्र शिवसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. अमित पुत्र शिवसिंह जाति जाटव निवासी नाम तहसील नदबई जिला भरतपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री अशोक कुमार एड.(प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण वाद के लिए पूर्ण सक्षम व्यक्ति हैं। दावा लड़ने योग्य हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:22 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

2. यह कि हाल आराजी खसरा नंबर 815 रकबा 0.73 वाके ग्राम नाम तहसील नदबई स्थित है। जिसकी वादिनी खातेदार काश्तकार व काबिज है। नकल जमाबंदी संवत 2075–2078 वाके ग्राम नाम पेश है।

3. यह कि वादिनी की उक्त विवादित आराजी खसरा नंबर 815 से चिपटैमा वाजानिब पूर्व की तरफ प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे का खसरा नंबर 816 रकबा 0.30 ग्राम नाम तहसील नदबई में स्थित है। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 वादिनी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र के खसरा नंबर 815 की डौरमेड तोडने व फसल को बर्बाद कर देने पर आमादा है तथा बदनीयती से वादिनी की विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र के खसरा नंबर 816 वाके नाम से लगे हुए हैं व चिपटैमा हिस्से पर जबरन कब्जा कर लेने के प्रयास में है।

4. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने वमुकाम नाम पर दिनांक 15.11. 2018 को वादिनी को यह एलानियां धमकी दी है कि वे खसरा नंबर 816 से चिपटैमा वादिनी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी के नंबर 815 की डौर मेंड को तोडकर जबरन उसकी आराजी पर कब्जा कर लेंगे व फसल का बर्बाद कर देंगे तथा कुए आदि पर जबरन कब्जा कर लेंगे तथा वादिनी को उसकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी के कुछ हिस्से से बेदखल करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण उक्त दी गई धमकी में कायमाब हो गए तो वादिनी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिए नकद से नहीं हो सकेगी। अतः वादिनी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने की अधिकारी है।

वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री अशोक कुमार एडवोकेट उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया। जो संक्षिप्त में निम्नानुसार है–

1. यह कि आराजी खसरा नंबर 816 रकबा 0.30 है.0 वाके ग्राम नाम तहसील नदबई प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी काश्तकारी की आराजी है जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक आराजी है। वादिनी का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816 के चिपटैमा वादिनी का खसरा नंबर 815 स्थित है। वादिनी उक्त आराजीयात की आड में प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वजों के समय से लगे डीप कुंआ, बोर पर जबरदस्ती कब्जा करने पर उतारू है जिसके बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 ने स्थाई दावा [illegible] बनाम किरनदेई न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर रखा है [illegible] द्वारा मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु वादिनी को पाबंद [illegible] है वादिनी ने प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816 में लगे [illegible] बोर, कुआं पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:22 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

करने के लिए दबाव बनाते हुए उक्त दावा पेश किया गया है जबकि वादी का खसरा नंबर 815 अलग है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कभी कोई कब्जा नहीं किया गया है। इसलिए दावा काबिल खारिजी के है।

2. यह है कि वादिनी द्वारा उक्त दावा प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816 में लगे डीप बोर कुआं पर जबरदस्ती कब्जा करने का दबाव बनाने हेतु पेश किया है इसलिए दावा बदनीयती पूर्वक होने से न्यायालय को गुमराह करने के उद्देश्य से पेश किया गया है।

3. यह है कि प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा वादिनी को दिनांक 15.11.2018 या अन्य किसी तिथि को कोई धमकी नहीं दी गई है इसलिए वादी को दावा लाने का कोई हक हासिल नहीं है इसलिए बिना कॉज ऑफ एक्शन दावा काबिल खारिजी के है।

वादिनी द्वारा प्रस्तुत दावा एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा के आधार पर वादपत्र में निम्नांकित तनकीयात कायम की गई–

1. आया वादिनी विवादित आराजी खसरा नबर 815 वाके नाम पर खातेदार काश्तकार काबिज है जिस पर प्रतिवादीगण डौर मेड तोडकर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है तथा बेदखल करने पर उतारू है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने की अधिकारी है।

– जिम्मेवादिनी

2. आया विवादित आराजी की आड में प्रति संख्या 1 के खसरा नंबर 816 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816 पर लगे डीप, कुआं पर कब्जा करने पर उतारू है।

– जिम्मेप्रतिवादीगण

3. आया प्रतिवादी द्वारा कोई कब्जा नहीं किया है और न ही कोई धमकी दी गई है। दावा काबिल खारिजी के है।

– जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2075–78 वाके ग्राम नाम प्रदर्श 1 व 2, नकल खसरा नक्शा वाके ग्राम नाम तहसील नदबई प्रदर्श 3 पेश किए गए। तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में किरनदेई पत्नी रामभरोसीलाल जाति जाटव निवासी नाम एवं रामभरोसी पुत्र नंदूराम जाति जाटव निवासी नाम के शपथ पत्र पेश किए गए जिनसे जिरह वकील प्रतिवादी द्वारा की गई।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जबाव के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:22 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया वादिनी विवादित आराजी खसरा नंबर 815 वाके नाम पर खातेदार काश्तकार काबिज है जिस पर प्रतिवादीगण डौर मेड तोडकर जबरन कब्जा करने के प्रयास में है तथा बेदखल करने पर उतारू है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने की अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी का था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2075–78 प्रदर्श 1 व 2 से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 815 पर वादिनी रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी के खसरा नंबर 815 की आड में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नंबर 816 है। उक्त दोनों खसरा नंबरान के बीच में मेड है जो कि सीधी न होकर कुएं एवं पक्के पिलर वाले स्थान पर टेढी है तथा राजस्व नक्शे में मेड सीधी है। मौके पर वादी व प्रतिवादी के खसरा नंबरान 815 व 816 के मध्य मेड सीधी नहीं होने के कारण उसकी आड में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिनी की आराजी खसरा नंबर 815 में जबरन बेदखल व कब्जा करने पर उतारू है। तथा वादिनी द्वारा साक्ष्य में भी प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी के कब्जेकाश्त में दखलदाजी करने के कथन किए गए हैं जिससे यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी की कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नंबर 815 वाके नाम में दखलदांजी की जा रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। अतः उक्त तनकी वादिनी के हक में तय की जाती है।

2. आया विवादित आराजी की आड में प्रति संख्या 1 के खसरा नंबर 816 पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नंबर 816 पर लगे डीप, कुआं पर कब्जा करने पर उतारू है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादिनी के खसरा नंबर 815 की आड में प्रतिवादीसंख्या 1 के खसरा नंबर 816 के मध्य मेड मौके पर सीधी न होकर टेढी है जो कि तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है। परन्तु मौके पर जो कुआं आदि निर्मित है उनका इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है जिसकी आड में प्रतिवादी संख्या 1 का[illegible] के खातेदार[illegible]तकारी के खसरा नंबर 815 पर जबरन कब्जा करना चाहते [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिनी की खातेदारी की आराजी में [illegible]काश्त से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:22 IST
Reason: SelfAttested

23/6/25

Scanned with OKEN Scanner

करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध एवं वादिनी के हक में तय की जाती है।

3. आया प्रतिवादी द्वारा कोई कब्जा नहीं किया है और न ही कोई धमकी दी गई है। दावा काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि प्रतिवादीगण द्वारा वादिनी की खातेदारी काश्तकारी की आराजी खसरा नंबर 815 में किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है जबकि उक्त दोनों तनकी वादिनी के हक में तय की जा चुकी है जिससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण वादिनी की खातेदारी की आराजी में जबरन कब्जा कर वादिनी को कब्जेकाश्त से बेदखल करने पर उतारू है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

3.

::आदेश::

अतः आदेश है कि वादिनी के विवादित आराजी खसरा नंबर 815 वाके ग्राम नाम तहसील नदबई पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि खसरा नंबर 816 की आड में वादिनी को उसके खातेदारी काश्तकारी के खसरा नंबर 815 में कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करें और न ही वादिनी के खसरा नंबरान में मदाखलत मजाहमत करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.25 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर

23/6/25

गंगाधर मीना (R.A.S)
सहायक कलक्टर नदबई

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:19:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner